भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
1115, एलआर सेल, संचार भवन
20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.

सं. 815-66/98-एलआर(खण्ड-II)(ग) दिनांक 29-05-2006

कैप्टिव वी-सैट प्रचालक (एनटीपी-99 के तहत और एनटीपी-99 में स्थानांतरित)

विषयः- दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) दिशानिर्देशों को शामिल करने के लिए कैप्टिव वी-सैट लाइसेंस से संशोधन

संदर्भः- (I) कैप्टिव वी सैट लाइसेंस सं. .... दिनांक ....

खंड-IV के भाग II की शर्त 1 "लाइसेंस धारक का दायित्व" में खंड 1.7ए 1.8 और 1.9 को अंतःस्थापित करने के लिए लाइसेंस सं. .... दिनांक .... को संशोधित किया गया है। अंतःस्थापित खंडों को निम्नानुसार पढा जायेगाः-

1.7 लाइसेंसधारक कम्पनी का स्वामित्व

लाइसेंसधारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि संपूर्ण लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी समय, लाइसेंसधारक कम्पनी में कुल विदेशी इक्विटी, कुल प्रदत्त इक्विटी की एफडीआई के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक न हो।

(i) लाइसेंसधारक कम्पनी में लाइसेंस धारक कम्पनी द्वारा जैसाकि स्पष्ट किया गया है, शेयरधारिता का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	प्रवर्तक/भागीदार का नाम	भारतीय/विदेशी	शेयर प्रतिशत	निवल मूल्य
1				
2				
3				

(ii) जैसा कि लाइसेंसधारक कम्पनी द्वारा स्पष्ट किया गया है, लाइसेंसधारक कम्पनी के प्रवर्तक/भागीदार भारतीय कम्पनियों की शेयरधारिता का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	प्रवर्तक/भागीदार का नाम	भारतीय/विदेशी	शेयर प्रतिशत	निवल मूल्य
1				
2				
3				

215

1.7(क) आवेदक कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत भारतीय कंपनी होनी चाहिए।

1.7 (क) क. कुल संयुक्त विदेशी धारिता, परन्तु यह विदेशी संस्थानिक निवेशकों (एफआईआई), अनिवासी भारतीयों(एनआर आई) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों(एफसीसीबी), अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट्स (एडीआर), ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स(जीडीआर), परिवर्तनीय तरजीही शेयरों, भारतीय प्रवर्तकों/निवेश कम्पनियों, जिनमें उनकी नियंत्रक कम्पनियां इत्यादि शामिल हैं, द्वारा किये गये निवेश तक ही सीमित न हो, को शामिल करते हुए समानुपातिक विदेशी निवेश, जिसे इसके बाद एफडीआई कहा गया है, की सीमा 74% से अधिक नहीं होगी। 74 प्रतिशत विदेशी निवेश नियंत्रक कम्पनी के माध्यम से अथवा प्रचालन कम्पनी में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है और बच रहे 26 प्रतिशत शेयर निवासी भारतीय नागरिकों अथवा भारतीय कम्पनी के स्वामित्व में होंगे (अर्थात् विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 49 प्रतिशत से अधिक न हो और प्रबंधन भारतीय स्वामियों के पास हो)। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी भारतीय कम्पनी के समानुपातिक विदेशी हिस्से की गणना भी 74% की अधिकतम सीमा में की जाएगी। तथापि, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों की कुल धारिता में विदेशी हिस्से को "भारतीय" धारिता के रूप में माना जायेगा। लाइसेंसधारक से अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसी विदेशी धारिता की स्थिति स्पष्ट करे और प्रमाणित करें कि विदेशी पूंजी निवेश अर्धवार्षिक आधार पर 74% की अधिकतम सीमा के भीतर ही है।

1.7(क)ख. कम्पनी के निदेशक मण्डल में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी(सीईओ) सहित अधिसंख्य निदेशक निवासी भारतीय नागरिक होंगे। इन पदों पर नियुक्ति महत्वपूर्ण भारतीय निवेशकों के परामर्श से निवासी भारतीय नागरिकों में से की जाएगी। महत्वपूर्ण पूंजी निवेशक की परिभाषा नीचे पैरा 1.7(क) छ (ii) में दी गयी है।

1.7(क) ग. शेयरधारक करार (एसएचए) में विशिष्ट रूप से यह शर्त शामिल होगी कि निदेशक मण्डल में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी(सीईओ) सहित अधिसंख्य निदेशक निवासी भारतीय नागरिक होंगे और इसमें यह भी परिकल्पना होगी कि लाइसेंस करार की शर्तों का अनुपालन हो।

1.7 (क) घ. 49 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्वतः प्रकिया आधार पर जारी रहेगा। लाइसेंसधारक कम्पनी/ भारतीय प्रवर्तकों/पूंजी निवेश कम्पनियों, जिनमें उनकी नियंत्रक कम्पनियां भी शामिल हैं, से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा, यदि इसके पास 74 प्रतिशत की समग्र सीलिंग पर शेयर धारिता है। एफआईपीबी पूंजी निवेश प्रस्तावों को अनुमोदित करते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि पूंजी निवेश किसी शत्रुता भाव रखने वाले देशों से न आ रहा हो।

1.7(क)ङ एफआईपीबी द्वारा पूंजी निवेश के अनुमोदन में इस प्रतिबंधात्मक शर्त की परिकल्पना होगी कि कम्पनी को लाइसेंस करार का अनुपालन करना होगा।

1.12(क) च विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारतीय कानून के अध्यधीन होगा, न कि बाहरी देश/देशों के कानून के अध्यधीन।

1.7(क) छ (i) लाइसेंस में एक सर्वोपरि खण्ड होगा जो लाइसेंसदाता को कतिपय परिभाषित परिस्थितियों में लाइसेंस रद्द करने की शक्तियां प्रदान करता है।

(ii) यह सुनिश्चित करने के संबंध में कि कम से कम एक महत्वपूर्ण निवासी भारतीय प्रवर्तक निवासी भारतीय शेयर धारिता की समुचित धनराशि का अंशदान करे, ऐसा निवासी भारतीय प्रवर्तक लाइसेंसधारक कम्पनी की न्यूनतम 10 प्रतिशत इक्विटी धारण करेगा।

(iii) कम्पनी को कम्पनी के संगम ज्ञापन के भाग के रूप में लाइसेंस करार का अनुपालन करना होगा। लाइसेंस करार का किसी भी प्रकरण का उल्लंघन इस संबंध में कम्पनी को अपना कारोबार आगे ले जाने में स्वतः असक्षमता प्रदान करेगा। लाइसेंस करार का अनुपालन करने की ड्यूटी को भी संस्था-अंतर्नियम का एक हिस्सा बनाया जाएगा।

(iv) मुख्य तकनीकी अधिकारी(सीटीओ)/मुख्य वित्त अधिकारी(सीएफओ) निवासी भारतीय नागरिक होंगे। लाइसेंसदाता निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा धारित महत्वपूर्ण पदों को पुनः अधिसूचित कर सकता है।

(v) कम्पनी निम्नलिखित को भारत से बाहर किसी व्यक्ति/स्थान को अंतरित नहीं करेगी-

- उपभोक्ता से संबंधित कोई लेखांकन सूचना (बिलिंग को छोडकर)(टिप्पणी: यह संविधिक रूप से अपेक्षित वित्तीय स्वरूप के प्रकटन पर प्रतिबंध नहीं लगाता)
- प्रयोक्ता सूचना; और
- अप्रकटन करार पर हस्ताक्षर हो जाने पर जिसने लाइसेंसधारक कम्पनी की अवस्थापना सुविधाओं की संस्थापना, चालू करने का काम इत्यादि किया है उनके दूरसंचार उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं को छोड़कर उनकी अवस्थापना/नेटवर्क डायग्राम का ब्यौरा ।

(vi) कम्पनी अपने उपभोक्ताओं की सुलभ प्राप्य पहचान अवश्य उपलब्ध कराये।

(vii) भारत के भीतर के उपभोक्ताओं से भारत के भीतर के उपभोक्ताओं को किये जाने वाले किसी परियात (मोबाइल और लैण्डलाइन) के भारत के बाहर किसी स्थान को नहीं भेजना होगा। इस प्रयोजनार्थ, स्वदेशी परियात के लिए कार्य कर रहे उपग्रहों की स्थान-स्थिति को भारत से बाहर नहीं माना जाएगा।

(viii) लाइसेंस धारक द्वारा अनुरक्षण/मरम्मत के लिए देश के बाहर किसी उपस्कर विनिर्माता अथवा किसी अन्य एजेन्सी को कोई भी दूरस्थ अभिगम(आरए) प्रदान नहीं किया जाएगा। तथापि, अपातिक साफ्टवेयर फेल होने (जैसे बूट-अप इत्यादि की खराबी) पर, जिससे नेटवर्क का मुख्य हिस्सा लम्बी अवधि के लिए खराब हो रहा होगा, तो उसके लिए दूरस्थ अभिगम की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि निम्नलिखित शर्ते पूरी होती हों:-

- जब दूरस्थ अभिगम प्रदान किया जाएगा तो उसे अभिज्ञात सरकारी एजेन्सी (आसूचना ब्यूरो) को अधिसूचित करना होगा।
- रिमोट ऐक्सेस पासवर्ड केवल निश्चित अवधि के लिए ही होगा और मूल उपस्कर विनिर्माता(ओईएम) विक्रेता के पूर्व अनुमोदित स्थानों से केवल सम्पर्कता के लिए होगा और विशेष रूप से केवल मरम्मत/अनुरक्षणाधीन उपस्करों के लिए होगा।
- दूरस्थ अभिगम का नियंत्रण अर्थात् ऐक्टिवेशन , डाटा अंतरण, समापन इत्यादि देश के भीतर ही होगा, न कि विदेश में दूरस्थ स्थानों में।
- सरकारी एजेन्सी को आनलाइन निगरानी के लिए लेनदेन के रिकार्ड करने हेतु सभी प्रकार की सहायता दी जानी होगी।
- कोई उपस्कर अथवा साफ्टवेयर जो समग्र निगरानी का हिस्सा बनता है, को किसी भी परिस्थिति में दूरस्थ अभिगम रखने की अनुमति नहीं होगी।
- इस खण्ड के अधीन प्रयुक्त शब्दों आपातिक साफ्टवेयर खराबी, नेटवर्क का मुख्य भाग और लम्बी अवधि को लाइसेंसदाता द्वारा समय-समय पर परिभाषित करना होगा।

(ix) लाइसेंसदाता, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में लाइसेंस कम्पनी के प्रचालन कार्य को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(x) वायस और डाटा, की निजता बनाये रखने के संबंध में निगरानी रखना संघ सरकार के गृह सचिव अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गृह सचिवों द्वारा दिये गये प्राधिकार पर होगा।

(xi)परियात की निगरानी के लिए लाइसेंसधारक कम्पनी सुरक्षा एजेन्सियों के लेखा बहियों के साथ-साथ अपने नेटवर्क और अन्य सुविधाओं की बेहिचक सम्पर्कता उपलब्ध कराएगी।

(xii) पैरा 1.7 (क) छ में परिकल्पित लाइसेंस का अनुपालन नहीं होने के मामले में कम्पनी को दिये गये लाइसेंस/लाइसेंसें के रद्द मान लिया जाएगा और लाइसेंसदाता के पास निष्पादन/वित्तीय बैंक गारंटी/गारंटियों को भुनाने का अधिकार होगा और लाइसेंस किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

1.7 (क)ज उर्पयुक्त 1.7 (क) क से 1.7 (क) छ में उल्लिखित शर्ते दूरसंचार सेवा/सेवाओं का प्रचालन कर रही मौजूदा कम्पनियों, जिनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिक सीमा 49% थी, पर भी लागू होंगी।

1.7 (ख) जब तक लाइसेंसदाता द्वारा अनुमति न दी जाए, भारतीय और विदेशी प्रवर्तकों अथवा उनकी इक्विटी भागीदारी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लाइसेंसधारक कंपनी लाइसेंस प्रदाता की लिखित रुप से ली गई पूर्व सहमति से, समान अथवा उच्चतर स्तर के किसी प्रवर्तक (कों) के स्थान पर अन्य प्रवर्तक (कों) को रख सकती है जैसा नीचे विहित किया गया है :

- किसी मौजूदा विदेशी प्रवर्तक के स्थान पर उसी के समान स्तर के किसी अन्य विदेशी प्रवर्तक को रखा जा सकता है।
- मौजूदा भारतीय प्रवर्तकों को भी विदेशी प्रवर्तक की शेयरधारिता का अधिग्रहण करने की अनुमति दी जा सकती है ; और
- मौजूदा भारतीय प्रवर्तकों के बीच परस्पर इक्विटी के हस्तांतरण की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि अधिकांश भारतीय प्रवर्तकों के पास कम से कम उनकी मौजूदा शेयरधारिता लाइसेंस करार के प्रभावी होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक बनी रहे। जब तक प्रतिस्पर्द्धा को कोई जोखिम न हो, भारतीय कंपनियों के विलय की अनुमति दी जा सकती है।

1.8 लाइसेंसधारक यह भी सुनिश्चित करेगा कि :

(i) शेयरधारिता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सभी आवश्यक सांविधिक अपेक्षाएं पूरी किए जाने की शर्त के अधीन किया जाएगा।

(ii) लाइसेंसधारक कंपनी का प्रबंधकीय नियंत्रण सर्वदा भारतीय हाथों में रहेगा।

1.9 लाइसेंसधारक कंपनी के नाम में परिवर्तन करने की अनुमति भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।

आपसे अनुरोध है कि पूर्वोक्त शर्तों की बिलाशर्त अनुपालन रिपोर्ट 02.07.2006 से पूर्व प्रस्तुत करें। कृपया इसके साथ पैरा 1.7(i) और (ii)में अपेक्षित सूचना भी उपलब्ध कराएं।

(नवेन्द्र सिंह)
उप महानिदेशक (सैट- IV)

प्रतिलिपि :-

सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण।

22